डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय
लखनऊ
DR. A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY
LUCKNOW

अधिनियम एवं विनियमावली
ACT & REGULATIONS

VIRENDRA PATHAK
Digitally signed by VIRENDRA PATHAK
Date: 2023.04.28 17:38:36 +05'30'

और निधि की संग्रहित धनराशि की ब्याज से निधि के उद्देश्यों की पूर्ति करने की स्थिति में आ जायेगी, तो विश्वविद्यालय निधि के लिये छात्रों से अग्रतर संग्रहण की निरन्तरता की समीक्षा कर सकता है।

(4) प्रत्येक वर्ष आय–व्ययक के अनुमोदन के समय समिति इस नियमावली में वर्णित प्रत्येक उद्देश्य के लिये निधियां निर्धारित करेगी।

(5) छात्रों एवं माता–पिता को इस नियमावली में वर्णित मानदण्ड के अनुसार समिति वित्तीय सहायता और प्रतिकर अनुमोदित करेगी।

(6) नियम–6 और 13 में वर्णित प्रत्येक उद्देश्य के लिये निर्धारित निधियों का पुनर्विनियोजन करने का समिति को अधिकार होगा।

13–सहायता स्वीकृत करने का मानदण्ड

विभिन्न उद्देश्यों के लिये सहायता स्वीकृत करने के मानदण्ड निम्नलिखित होंगे:–

(1) इस नियमावली में यथापरिभाषित निर्धन छात्रों को फीस माफी दी जा सकेगी और एतद् द्वारा स्वीकृत आय–व्ययक की सीमाओं तक तत्समय प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(2) यदि दावा किया जाता है तो छात्रों और माता–पिता को जो किसी दुर्घटना में मरते हैं, नीचे दिये गये परिणामों के लिये प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

(क) रू० 1.00 लाख की धनराशि उस छात्र को संदत्त की जायेगी जिसके कमाऊ माता–पिता किसी दुर्घटना में अथवा अन्यथा मृत हो जाते है। ऐसे छात्र को नियम 13(1) में यथापरिभाषित फीस माफी भी दी जायेगी और माता–पिता/संरक्षक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू० 2.00 लाख से कम है और जीवित माता–पिता उपार्जन भी नहीं करते हैं।

(ख) ऐसे छात्र के माता–पिता को रू० 1.00 लाख का प्रतिकर दिया जायेगा जिसकी दुर्घटना के कारण या अन्यथा मृत्यु हो जाती है। यदि माता–पिता की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से रू० 2.00 लाख से कम है।

(ग) रू० 1.00 लाख की धनराशि उस छात्र को संदत्त की जायेगी जो दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से अपंग हो गया हो।

(घ) रू० 0.50 लाख की धनराशि उस छात्र को संदत्त की जायेगी जो दुर्घटना के कारण अस्थाई रूप से अपंग हो गया है।

(3) रू० 0.50 लाख की धनराशि उस छात्र को संदत्त की जायेगी जिसके कमाऊ माता पिता की मृत्यु दुर्घटना से भिन्न अन्यथा हो जाती है।

(4) उपनियम 2 (क) और 3 में उपबन्धित फीस माफी ऐसे सभी बालकों को उपलब्ध होगी जो उसमें अन्तर्विष्ट परिणामों के लिये माता–पिता की मृत्यु के दिनाक को छात्र है यद्यपि प्रतिकर की धनराशि को ऐसे समस्त छात्र/छात्रों में समान रूप से वितरित किया जायेगा लेकिन महिला छात्र यदि कोई हो, पूर्ण प्रतिकर प्राप्त करेंगी। यह सुविधाएं शैक्षणिक सत्र 2005–06 से उपलब्ध होंगी।

(5) इस नियमावली में यथा परिभाषित निर्धन छात्र को शासी निकाय द्वारा अनुमोदित उपलब्ध आय–व्ययक के अन्तर्गत सहायता/पुस्तकीय सहायता एक मुस्त दी जायेगी और यदि वह कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक वार्षिक आधार पर अर्जित करता है।

उन्हीं छात्रों को प्रतिकर संदत्त किया जायेगा जिनके माता–पिता की मष्त्यु छात्र/छात्रा के विश्वविद्यालय में अन्तिम अध्ययन सत्र की समाप्ति से पूर्व होती है।

Cri
nctic
istan

(3) Amount left at the end of every financial year, if any, will be invested in a long term deposit to create a corpus fund for Nidhi. When a corpus fund of reasonable size is created and a situation is reached to carry out the objects of Nidhi from the interest of corpus money of Nidhi, the University may review the continuance of further collection from students towards Nidhi.

(4) Every year at the time of approval of the budget the Samiti shall earmark funds for each object mentioned in these rules.

(5) The Samiti shall approve the financial assistance and compensation to students and parents as per criterion mentioned in these rules.

(6) The Samiti shall have right to re-appropriate funds earmarked for each object mentioned in rule-6 and 13.

The criterion for sanctions of assistance for different objects will be as follows:

(1) A student, whose earning parent dies, may be given freeship excluding failures for remaining period of course and hereby tuition fees and examination fees prevalent at that time will be paid by University.

(2) If claimed, compensation to a student and parent(s) who dies in any accident will be paid amounts for the consequences given below:

(a) A sum of Rs 1.00 Lac will be paid to a student who earning parent(s) dies in or due to an accident. Such student may also be given freeship as defined in rule 13(1), if parent/guardian are having annual income by all means less than Rs.2.00 lac and also if living parent does not earn.

(b) Compensation of Rs.1.00 Lac will be paid to parent(s) of a student who dies in or due to an accident, if parent(s) are having Annual Income by all means less than Rs.2.00 lac.

(c) A sum of Rs.1.00 Lac will be paid to student who is permanently disabled due to accident.

(d) A sum of Rs.0.50 Lac will be paid to a student whose is temporarily disabled due to accident.

(3) A sum of Rs. 0.50 Lac will be paid to a student whose earning parent(s) dies otherwise than an accident.

(4) The freeship in sub-rule 2(a) and (3) shall be available to all such children who are student(s) on the date of death of parents(s) for the consequences contained therein, however the amount of compensation will be distributed equally among all such student(s) but female student, if any, shall have full compensation. These facilities will be available from academic session 2005-06.

(5) A poor student as defined in these rules, may be given a lump sum assistance/ book aid within the available budget approved by the governing body and if he secures at least 50% marks in a class on annual basis.

(6) Compensation will be paid to those students whose parent(s) dies before the end of his/her last session of studies in university.